ाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 263] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 नवम्बर 2001—अग्रहायण 8, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 29 सन् 2001)

भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2001

सार्वजनिक सड़कों और पुलों पर सरकार द्वारा पथकर का उद्ग्रहण करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को लागू ए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1932 (1932 का संख्यांक 8) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

सं

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, सीमा एवं प्रारंभ.

(1) इस विधेयक का नाम भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2001 होगा.

(2) यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर लागू होगा.

(3) यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अधिनियम क्रमांक 8 सन् 1932 की धारा 2 में संशोधन.

2. भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1932 (क्रमांक 8 सन् 1932) की धारा-2 में शब्द "पन्द्रह वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए " के स्थान पर शब्द "तीस वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए" स्थापित किए जाएं.

3.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

प्रतिवर्ष राज्य शासन द्वारा राज्य के सड़कों एवं पुलों के रख-रखाव, मरम्मत एवं निर्माण के लिए बजट में प्रावधान रखा जाता है. किन्तु सीमित संसाधन होने के कारण बहुत से निर्माण कार्य नहीं किये जा पा रहे हैं.

प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सड़कों एवं पुलों का विकास आवश्यक है. अत: यह महसूस किया गया कि राज्य के कुछ सड़कों एवं पुलों के रख-रखाव, मरम्मत या निर्माण का कार्य किसी निगम अथवा विधिक एजेन्सी, फर्म या व्यक्ति को जिसे कि राज्य शासन द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किया गया है को उसके व्यय से कराया जाये तथा राज्य शासन ऐसे निगम/एजेन्सी को इन सड़कों/पुलों से जिनका निर्माण, रख-रखाव या मरम्मत जो इनके द्वारा किया गया है से पथकर की वसूली एवं प्रबंधन के लिए प्राधिकृत करेगा. यह देखा गया है कि पथकर की वसूली के लिये जो पन्द्रह वर्ष की समयावधि निर्धारित है वह परियोजना के स्वपोषित होने के लिए अपर्याप्त है, अत: इस समयसीमा को प्रस्तुत संशोधन विधेयक द्वारा बढ़ाया जाकर तीस वर्ष से अनधिक किया जाना प्रस्तावित है.

यह विनिश्चित किया गया कि भारतीय पथकर अधिनियम, 1932 (1932 का संख्यांक 8) को संशोधित किया जाए.

2. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
दिनांक : 21 नवम्बर, 2001

रविन्द्र चौबे
भारसाधक सदस्य

उपाबंध

भारतीय पथकर (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 1932 के धारा 2 का सुसंगत उद्धरण

धार-2 भारतीय पथकर (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1932 (क्रमांक 8 सन् 1932) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 शब्द "तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए" स्थापित किये जाएं.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.